JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं : एक अध्ययन

डॉ० अरविन्द कुमार* एवं डॉ० ललित कुमार**
*सहा० प्राध्यापक, शिक्षक शिक्षा विभाग, ** सहा० प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय रज़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर, उ०प्र० (भारत)

सारांश (Abstract)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में 75 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं हेतु तथा 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग की बालिकाओं हेतु आरक्षित रहते हैं।10 साल से ऊपर की उन बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है जो कभी विद्यालय नहीं गईं या फिर जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इन विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं (भौतिक एवं मानवीय) का अध्ययन करना है। शोध के परिणाम में पाया गया कि- शत-प्रतिशत विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल हेतु फ़िल्टर/वाटर कूलर, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, सेनेटरी पैड्स उपलब्ध थे। विद्यालय समय के बाद पूर्णकालिक शिक्षिकाएं शिक्षण करती थीं, उनको पत्र-पत्रिकाएं/समाचार पत्र पढ़ने की सुविधा थी तथा एआरपी/डीसी बालिका शिक्षा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते थे। सामान एवं पुस्तकें आदि रखने हेतु लॉकर/संदूक व्यवस्था, प्रत्येक विषय की अलग-अलग पूर्णकालिक शिक्षिकाएं तथा मानकानुसार अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं थे।

बीज शब्द (Key Words) : कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, वंचित वर्ग, भौतिक एवं मानवीय सुविधाएं।

शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार है। अपनी बात को अपनी जुबान में कह पाने का ज़ज्बा शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता है। शिक्षित व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के परिवार, समाज तथा दुनिया के सामने खुलकर बोल सकता है, अपने विचार और भावनाओं को प्रकट

कर सकता है। इसलिए समाज के सभी वर्गों की शिक्षा तक समान पहुँच होनी ही चाहिए चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो। शिक्षा तक पहुँच भी मात्र चार अक्षर सीखने वाली ही नहीं, बल्कि गुणात्मक, समावेशी तथा व्यक्तित्व का विकास करने वाली होनी चाहिए, जो कि पुरुष, महिला, दिव्यांग, शोषित, वंचित वर्ग के सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करे। इस प्रकार की शिक्षा बालिकाओं को तो अवश्य मिलनी चाहिए ताकि वह अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति जागरूक होकर भविष्य में समाज को उत्पादक और संस्कारवान बना सकें।

हमारे देश में तो वैसे भी बालक या बालिका में से किसी एक की शिक्षा को वरीयता देने की बात पर बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। स्कंद पुराण (नवभारत टाइम्स, 2018) में कहा गया है कि 'एक बेटी दस बेटों के बराबर होती है।' इस तरह एक बेटी दस गुना अधिक शक्ति, सामर्थ्य और सूझ के साथ समाज में परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। बालिकाएं ही आगे चलकर माता, बहन के रूप में सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनती हैं। शिक्षा ग्रहण करके महिलाएं स्वयं, परिवार, समाज तथा राष्ट्र का उत्थान कर सकती हैं, उसे एकता के सूत्र में बांध सकती हैं तथा जीवकोपार्जन के साधन जुटा सकती हैं। अतः कहा जा सकता है कि बालिकाओं हेतु ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो कि उनमें मात्र शब्द पढने-लिखने तथा समझने की ही योग्यता न विकसित करे, बल्कि लोगों की मानसिकता को पढ़ने व समझने तथा कौशल विकास करने में भी मदद करे। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा अपने उनके एवं शिक्षा बालिका पर स्तर अपने-सशक्तीकरण हेतु अनेकों योजनाएँ संचालित की गई। इसी क्रम में ड्राप आउट, गरीब और वंचित वर्ग की बालिकाओं हेतु सन 2004 में भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना प्रारम्भ की गई।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में 75 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं हेतु तथा 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग की बालिकाओं हेतु आरक्षित रहते हैं।10 साल से ऊपर की ग्रामीण क्षेत्र की (अब शहर की भी) उन बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है जो कभी विद्यालय नहीं गईं या फिर जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी। जिन बालिकाओं ने परिस्थितियों को अपनी नियति का लेखा मान लिया था और वह यह उम्मीद भी खो चुकी थीं कि वह भी कभी जीवन में दुबारा शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। वास्तविक रूप में ऐसी ही बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को खोला गया है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व (Need & Significance of the Study)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय गरीब एवं वंचित वर्ग की शिक्षा-दीक्षा के लिए एक तरह से संजीवनी के समान हैं फिर भी इस योजना का सफलतम रूप से क्रियान्वयन होने या न होने तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने के बारे में पूर्णतया आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। वर्तमान समय में इन विद्यालओं के बारे में समाज तथा मीडिया में सम्भवतः अच्छा संदेश नहीं जा पा रहा है। सम्पादकीय लेख (दै०जा०, 2017, पृ० 10) में इन विद्यालयों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि- 'इन विद्यालयों में बालिकाओं को स्तरीय शिक्षा प्राप्त नही हो पा रही है और न ही रहन-सहन की दशाएं ठीक है, उनका सही ढंग से विकास भी नहीं हो पा रहा है। समुचित देखभाल के अभाव में इन विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है।.....बालिकाओं को सारे कष्ट एवं अपमान सहते हुए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। खराब खानपान के कारण कई बार छात्राओं के बीमार पड़ने, उचित इलाज न मिलने के कारण मानसिक परेशानी जैसी बातें भी सामने आई हैं। कई बार तो दैहिक शोषण तक की शिकायतें सामने आयी हैं। कुल मिलाकर पिछड़े वर्ग के उन्नयन, उत्थान के लिए सरकार चाहें जो भी प्रयास करती हों, पर उसका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है।'

मीडिया द्वारा प्रदर्शित कुछ और बानगी देखें– 11 साल बीतने के बाद भी विद्यालय में सामान्य सुविधाएं तक नहीं है, आवासीय विद्यालयों में 6.7 फीसदी हॉस्टल में तैनात स्टाफ में अनुशासन की कमी है, 70 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक नहीं, 23.3 प्रतिशत विद्यालयों में ही सभी विषयों के अलग-अलग शिक्षक, महज छः हज़ार में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, 25.02 फीसदी विद्यालयों में कंप्यूटर नहीं के बराबर, 100 फीसदी शिक्षक अपने वेतन से असंतुष्ट, भारी संख्या में सीटें रह रही खाली।[1] नाश्ते को तरसी छात्राएं।[2] छात्राओं से बनवाया जाता है खाना।[3] कार्य में लापरवाही बरतने पर 'बा' स्कूल की तीन वार्डन की सेवाएं समाप्त।[4] बा स्कूल में बच्चों को बासी खाना खिलाने में नपीं।[5] छात्राएं आईं नहीं और भोजन के नाम पर गटक गए नौ करोड़।[6] छात्राएं हैं नहीं फिर भी खाने के नाम पर 84 लाख हजम।[7] समाज में व्याप्त विभिन्न तरह की मान्यताएं, धारणाएं एवं विचार इन विद्यालयों की उद्देश्यपूर्णता पर कहीं न कहीं प्रश्न चिह्न खड़ा करते हैं।

केंद्र तथा राज्य सरकार केजीबीवी योजना पर क्रमशः 50:50 प्रतिशत की भारी-भरकम धनराशि वंचित वर्ग के नाम पर व्यय कर रहे हैं। इसलिए इस योजना की दिशा एवं दशा का अध्ययन करना अवश्यभावी हो जाता है। यह जानना भी जरुरी है कि क्या इन विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उन बालिकाओं तक पहुँच रहा है जिनको कि इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है? क्या यह विद्यालय वंचित वर्ग की बालिकाओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे है? इन विद्यालयों में प्रदान की जा रही मानवीय सुविधाओं का स्तर कैसा है? अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इन विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं(भौतिक एवं मानवीय) का अध्ययन किया जाए।

इस तथ्य की जानकारी निमित्त विभिन्न उपलब्ध संबंधित साहित्य का अवलोकन किया गया, यथा- यादव (2013), मिश्रा (2015), गोगोई एवं बरुआ (2015), बरनवाल एवं यादव (2017), नागराजू एवं गुंटूरमस्तान (2017), देवी एवं त्रिपाठी

(2019), पटेल (2019), देवी एवं त्रिपाठी (2020) तथा कुमारी एवं नागमणि (2022)। इन शोधकर्ताओं द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में विशेषकर भौतिक संसाधनों की उपलब्धता संबंधी अध्ययन किए गए हैं, किंतु इनमे से कोई भी ऐसा अध्ययन प्राप्त नहीं हो सका जिसमें कि विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के साथ-साथ मानवीय सुविधाओं का अध्ययन अवस्थापना पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर किया गया हो, इसी कमी की पूर्ति हेतु प्रस्तुत अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय सुविधाओं का अध्ययन करना।

परिसीमांकन (Limitations)

प्रस्तुत शोध में केवल बरेली (उ०प्र०) मंडल के चार जनपदों यथा, बरेली, पीलीभीत, बदायूं तथा शाहजहांपुर के सत्र 2022-23 में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन में शोध की 'वर्णनात्मक विधि (Descriptive Method)' को अपनाया गया है। इस अध्ययन में जनसंख्या के अंतर्गत बरेली मण्डल (बरेली, पीलीभीत, बदायूं तथा शाहजहांपुर जनपद) के सत्र 2022-23 में संचालित सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सम्मिलित हैं। मण्डल के चारों जनपदों से 'स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्शन विधि (Stratified Random Sampling

Method) के द्वारा कुल 31 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का चयन किया गया है। इन्हीं विद्यालयों को अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में स्वीकार किया गया है।

शोध उपकरण (Research Tools)

प्रस्तुत अध्ययन के निमित्त शोधकर्ता द्वारा 'केजीबीवी में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं' विषयक प्रश्नावली का निर्माण किया है। इस मापनी में पदों का वितरण दो क्षेत्रों- भौतिक आयाम तथा मानवीय आयाम के आधार पर किया गया। प्रश्नावली में 15 पद भौतिक आयाम तथा 15 पद मानवीय आयाम की जानकारी से संबंधित हैं। इस प्रकार शैक्षिक सुविधाओं से संबंधित प्रश्नावली में कुल 30 पद दिए गए हैं।

प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधि (Used Statistical Techniques)

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों से निष्कर्ष निकालने हेतु प्रतिशत सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या (Analysis & Interpretation of Data)

इस उपवर्ग के अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का वर्णन दो उप-आयामों, यथा- विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं तथा मानवीय सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया है-

तालिका-1

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं

क्र० सं०	भौतिक सुविधाओं के नाम	31 विद्यालयों में से सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या	सुविधायुक्त विद्यालयों का प्रतिशत
1.	कक्षा में छात्राओं के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है।	29	93.54
2.	हॉस्टल में छात्राओं का सामान एवं पुस्तकें रखने हेतु लॉकर/संदूक व्यवस्था है।	19	61.29
3.	छात्राओं के हॉस्टल में रोशनी,कूलर/पंखों की पर्याप्त व्यवस्था है।	30	96.77
4.	छात्राओं के शयन हेतु पर्याप्त चौकी/तख़्त एवं बिस्तर,रजाई-गद्दे,चादर उपलब्ध हैं।	30	96.77
5.	छात्राओं को प्रदान की जाने वाली स्टेशनरी/निःशुल्क पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती हैं।	30	96.77
6.	सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।	25	80.64
7.	शुद्ध/स्वच्छ पेयजल हेतु विद्यालय में फ़िल्टर/वाटर कूलर की व्यवस्था है।	31	100
8.	छात्राओं को जीवन कौशल सिखाने हेतु सिलाई मशीन, कढ़ाई-बुनाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।	28	90.32
9.	विद्यालय में पर्याप्त संख्या में स्नानागार एवं शौचालय उपलब्ध हैं।	30	96.77
10.	विद्यालय में बालिकाओं के खाना खाने हेतु पर्याप्त राशन आदि सामग्री की निरंतर उपलब्धता रहती है।	28	90.32
11.	विद्यालय में कूड़ा-करकट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।	25	80.64
12.	छात्राओं के व्यायाम/खेल-खेलने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।	28	90.32
13.	विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।	31	100
14.	छात्राओं हेतु सेनेटरी पैड्स की पर्याप्त उपलब्धता रहती है।	31	100
15.	विद्यालय का परिवेश स्वच्छ, सुंदर एवं हरा-भरा है।	31	100

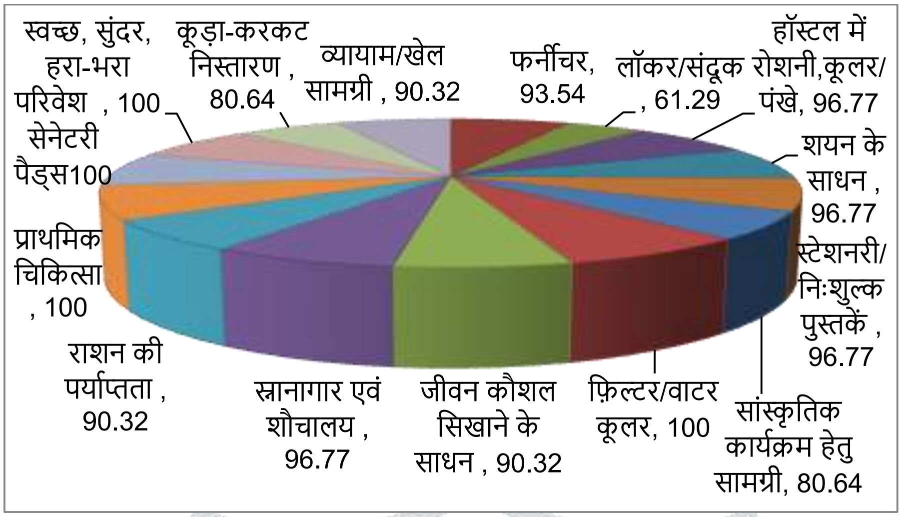

चित्र- 1 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं

तालिका एवं चित्र- 1 को देखने से ज्ञात होता है कि शत-प्रतिशत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शुद्ध/ स्वच्छ पेयजल हेतु फ़िल्टर/वाटर कूलर, प्राथमिक चिकित्सा तथा सेनेटरी पैड्स की उपलब्धता थी तथा विद्यालय का परिवेश भी स्वच्छ, सुंदर एवं हरा-भरा पाया गया। 30 (96.77 प्रतिशत) विद्यालयों के हॉस्टल में रोशनी,कूलर/पंखों की पर्याप्तता, छात्राओं के शयन हेतु सामग्री (चौकी/तख़्त एवं बिस्तर, रजाई-गद्दे,चादर आदि), छात्राओं को प्रदान की जा रही स्टेशनरी/निःशुल्क पुस्तकें तथा स्नानागार व शौचालय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे। 29 (93.54 प्रतिशत) विद्यालयों की कक्षाओं में छात्राओं के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध था। 28 (90.32 प्रतिशत) विद्यालयों में छात्राओं को जीवन कौशल सिखाने हेतु सिलाई मशीन, कढ़ाई-बुनाई के साधन, छात्राओं के व्यायाम/खेल-खेलने हेतु पर्याप्त सामग्री तथा बालिकाओं के खाना खाने हेतु पर्याप्त राशन आदि सामग्री की निरंतर उपलब्धता पाई गई। 25 (80.64 प्रतिशत) विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने की सामग्री तथा कूड़ा-करकट के निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध थी। सबसे कम मात्र 19 (61.29 प्रतिशत) विद्यालयों के हॉस्टल में ही छात्राओं का सामान एवं पुस्तकें आदि रखने हेतु लॉकर/संदूक व्यवस्था उपलब्ध थी।

प्रस्तुत परिणाम की तुलना बरनवाल एवं यादव (2017), देवी एवं त्रिपाठी (2019) तथा कुमारी एवं नागमणि (2022) के शोध परिणाम से करने पर ज्ञात होता है कि इन्होंने भी अधिकांश विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता संबंधी कोई समस्या नहीं पाई थी तथा सभी विद्यालयों में भोजन, पानी, स्वच्छता सुविधा, पाठ्येत्तर सुविधाएं, पुस्तकें व स्टेशनरी, कुर्सी, मेज, डेस्क अलमारी एवं शौचालय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। यह परिणाम प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों से मेल खाते हैं। जबकि यादव (2013) तथा नागराजू व गुंटूरमस्तान (2017) के शोध निष्कर्षों से मेल नहीं खाता है जिसमे कि उन्होंने विद्यालय में बालिकाओं के शयन हेतु बैड, शौचालय, स्नानागार, पीने का पानी व एक्वागार्ड, पंखे, फर्नीचर तथा खेल व मनोरंजन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं पाए थे।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में सभी आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होने का कारण संभवतः केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बालिकाओं को गुणात्मक और कौशलयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने, साक्षरता दर बढ़ाने तथा ड्राप आउट दर को कम करने की प्रति प्रतिबद्धता हो सकती है। अवस्थापना पैरामीटर्स को संतृप्त करने हेतु भी सरकार प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष दो लाख रूपए की धनराशि प्रदान करती है।

पहले इन विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं कम या न पाये जाने का कारण संभवतः यह हो सकता है कि यह विद्यालय विकास की ओर अग्रसर थे और सामाजिक व प्रशासनिक निगरानी तंत्र आज की अपेक्षा इतना मजबूत नहीं रहा होगा। बदलती परिस्थितियों में तकनीकी संसाधनों की आसन पहुँच ने सभी हितधारकों की भूमिका में बदलाव किया है।

तालिका- 2

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय सुविधाएं

क्र० सं०	मानवीय सुविधाओं के नाम	31 विद्यालयों में से सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या	सुविधायुक्त विद्यालयों का प्रतिशत
1.	प्रत्येक विषय की अलग-अलग पूर्णकालिक शिक्षिकाएं हैं।	23	74.19
2.	विद्यालय में अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाएं मानकानुसार हैं।	19	61.29
3.	पूर्णकालिक शिक्षिकाएं विद्यालय समय के बाद भी शिक्षण कार्य करती हैं।	31	100
4.	विद्यालय में सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं को पत्र-पत्रिकाएं/समाचार पत्र पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है।	31	100
5.	शिक्षक/शिक्षिकाओं को नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है।	29	93.54
6.	एआरपी/डीसी बालिका शिक्षा, शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हैं।	31	100
7.	अवकाश के दौरान शिक्षक किसी अन्य शिक्षक को अपना दायित्व सोंपता है।	28	90.32
8.	कार्यालय का कार्य करने हेतु पर्याप्त संख्या में लिपिक उपलब्ध हैं।	29	93.54
9.	बालिकाओं को जीवन कौशल विशेष में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक उपलब्ध है।	27	87.09
10.	बालिकाओं को खेल/आत्मरक्षा सिखाने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षक उपलब्ध रहते हैं।	28	90.32
11.	छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉक्टर्स निरंतर उपलब्ध रहते हैं।	27	87.09
12.	भोजन बनाने हेतु रसोइया पर्याप्त संख्या में हैं।	30	96.77
13.	विद्यालय में सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या है।	30	96.77
14.	विद्यालय में चौकीदार की व्यवस्था है।	30	96.77
15.	विद्यालय की सुरक्षा हेतु तैनात पीआरडी (प्रांतीय रक्षा दल) के जवान हमेशा उपस्थित रहते हैं।	28	90.32

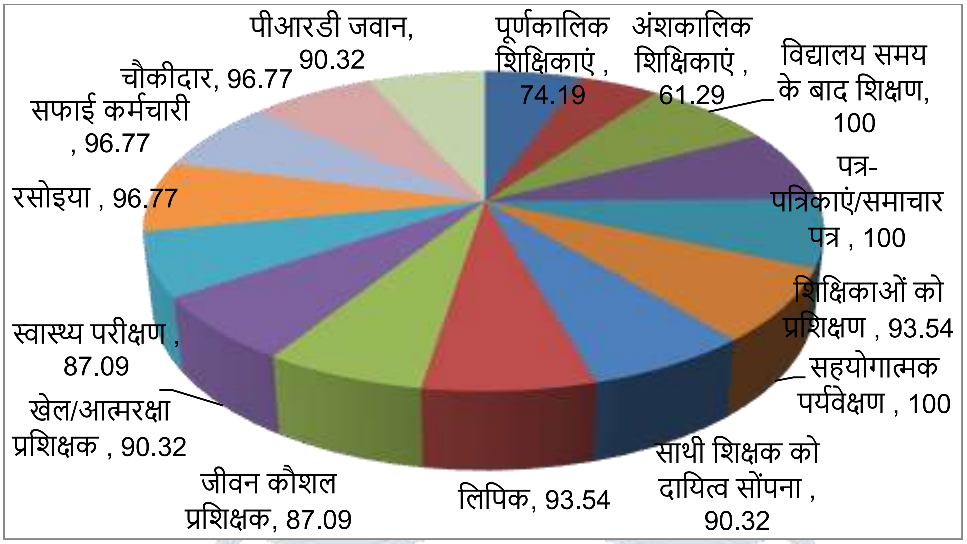

चित्र- 2 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय सुविधाएं

तालिका एवं चित्र- 2 को देखने से विदित होता है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शत-प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षिकाएं विद्यालय समय के पश्चात भी शिक्षण करती थीं, उनको पत्र-पत्रिकाएं/समाचार पत्र पढ़ने की सुविधा थी तथा शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए एआरपी/डीसी बालिका शिक्षा, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते थे। 30 (96.77 प्रतिशत) विद्यालयों में भोजन बनाने हेतु रसोइया, सफाई कर्मचारी तथा चौकीदार की पर्याप्त संख्या उपलब्ध थी। 29 (93.54 प्रतिशत) विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं ने कहा कि उनके लिए नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है तथा कार्यालय का कार्य करने हेतु पर्याप्त संख्या में लिपिक उपलब्ध हैं। 28 (90.32 प्रतिशत) विद्यालयों के शिक्षक अवकाश के दौरान अपना दायित्व किसी अन्य शिक्षक को सोंपते थे, बालिकाओं को खेल/आत्मरक्षा कौशल सिखाने हेतु प्रशिक्षक तथा विद्यालय की सुरक्षा हेतु पीआरडी (प्रांतीय रक्षा दल) के जवान उपलब्ध रहते हैं। 27 (87.09 प्रतिशत) विद्यालयों में छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉक्टर्स तथा जीवन कौशल विशेष में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक उपलब्ध रहते हैं। 23 (74.19 प्रतिशत) विद्यालयों में प्रत्येक विषय की अलग-अलग

पूर्णकालिक शिक्षिकाएं उपलब्ध थीं। इस आयाम के सबसे कम मात्र 19 (61.29 प्रतिशत) विद्यालयों में ही मानकानुसार अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाएं थीं।

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम बालिकाओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच, पूर्णकालिक शिक्षकों के द्वारा अतिरिक्त/उपचारित कक्षाओं का संचालन, चौकीदार की उपलब्धता तथा शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के संबंध में गोगोई एवं बरुआ (2015), पटेल (2019) तथा देवी एवं त्रिपाठी (2020) के शोध अध्ययन के परिणाम से मेल खाते हैं।

यादव (2013) तथा मिश्रा (2015) के शोध परिणाम कई विद्यालयों में मानकानुसार शिक्षिकाओं का अभाव के संबंध में प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम से मेल खाते हैं, जबकि रसोई सेवा के लिए मात्र एक गैर-शिक्षक कर्मचारी के संबंध में मेल नहीं खाते हैं।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में मानवीय सुविधाओं की उपलब्धता कम अथवा अनियमित होने का कारण संभवतः यह हो सकता है कि इन विद्यालयों में सेवा की प्रकृति पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षक/कर्मचारी के तरह की होती है। अन्य आवासीय विद्यालयों की तरह इनको उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी सरकारी स्थाई सेवा, अन्य सेवा में अधिक वेतन, अच्छी व शिथिल सेवा शर्तें, घर के पास नौकरी तथा आवास की सुविधा मिलने के कारण नौकरी छोड़ कर चले जाते हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष (Major Findings of the Research)

- शत-प्रतिशत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शुद्ध/स्वच्छ पेयजल हेतु फ़िल्टर/वाटर कूलर, प्राथमिक चिकित्सा हेतु सामग्री, सेनेटरी पैड्स की उपलब्धता तथा विद्यालयों का परिवेश स्वच्छ, सुंदर एवं हरा-भरा पाया गया।

- 96.77 प्रतिशत विद्यालयों के हॉस्टल में रोशनी, कूलर/पंखों की पर्याप्तता, छात्राओं के शयन के साधन व पढ़ने हेतु स्टेशनरी/निःशुल्क पुस्तकें तथा स्नानागार व शौचालय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे।
- 93.54 प्रतिशत विद्यालयों में छात्राओं के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध था।
- 90.32 प्रतिशत विद्यालयों में छात्राओं को जीवन कौशल सिखाने हेतु सिलाई मशीन, कढ़ाई-बुनाई के साधन, छात्राओं के व्यायाम/खेल-खेलने हेतु पर्याप्त सामग्री तथा विद्यालय में बालिकाओं के खाना खाने हेतु पर्याप्त राशन आदि सामग्री की निरंतर उपलब्धता रहती थी।
- 80.64 प्रतिशत विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने हेतु पर्याप्त सामग्री तथा विद्यालय में कूड़ा-करकट के निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध थी।
- 61.29 प्रतिशत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के छात्रावास में छात्राओं का सामान एवं पुस्तकें आदि रखने हेतु लॉकर/संदूक व्यवस्था उपलब्ध थी।
- शत-प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षिकाएं विद्यालय समय के पश्चात भी शिक्षण कार्य करती थीं, उनको पत्र-पत्रिकाएं/समाचार पत्र पढ़ने की सुविधा थी तथा विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए एआरपी/डीसी बालिका शिक्षा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते थे।
- 96.77 प्रतिशत विद्यालयों में भोजन बनाने हेतु रसोइया, सफाई कर्मचारी तथा चौकीदार की पर्याप्त संख्या थी।
- 93.54 प्रतिशत विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं ने कहा कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा इतने ही प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में लिपिक उपलब्ध थे।

- 90.32 प्रतिशत विद्यालयों के शिक्षक अवकाश के दौरान अपना दायित्व किसी अन्य शिक्षक को सोप कर जाते थे, बालिकाओं को खेल/आत्मरक्षा सिखाने हेतु प्रशिक्षक तथा विद्यालय की सुरक्षा हेतु पीआरडी (प्रांतीय रक्षा दल) के जवान उपलब्ध रहते थे।
- 87.09 प्रतिशत विद्यालयों में छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉक्टर्स तथा जीवन कौशल विशेष में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक उपलब्ध रहते हैं।
- 74.19 प्रतिशत विद्यालयों में ही प्रत्येक विषय की अलग-अलग पूर्णकालिक शिक्षिकाएं तथा 61.29 प्रतिशत विद्यालयों में मानकानुसार अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाएं उपलब्ध थीं।

शैक्षिक निहितार्थ (Educational Implication)

- इन आवासीय विद्यालयों में रहने वाली बालिकाएं घर से बाहर रहती हैं उनको घर की याद न सताए इसलिए उनके मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- बालिकाओं का सामान तथा पुस्तकें आदि को रखने हेतु व्यक्तिगत लॉकर/संदूक की व्यवस्था होनी चाहिए।
- विद्यालय में कूड़ा-करकट के निस्तारण हेतु भूमिगत गड्ढे बनाए जाएँ ताकि आगे चलकर इससे बनी कम्पोस्ट खाद विद्यालय के गार्डन को पोषित कर सके।
- बालिकाओं को शिक्षा से जोड़े रखने हेतु विद्यालय में पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक तथा कौशल विशेष में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक और कार्मिकों को स्थाई किया जाए तथा उनकी मानकानुसार नियुक्ति करने की व्यवस्था की जाए।

संदर्भ (References)

[3]**'बा' स्कूल की बच्चियों को परोसी कच्ची मटर,** शीर्षक समाचार, हिन्दुस्तान, बरेली, 19.04.2011

[4]**'बा' स्कूल की तीन वार्डन की सेवाएं समाप्त,** शीर्षक समाचार, अमर उजाला, बरेली, 29.06.2017, पृ०05

[5]**'बा' स्कूल में बच्चों को बासी खाना खिलाने में वार्डन नपीं,** शीर्षक समाचार, अमर उजाला, बरेली, 25.05.2017, पृ०07

बरनवाल, एम० एवं यादव, डी० (2017), **"मुस्लिम बालिकाओं की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में भागीदारी पर अध्ययन,"** भारतीय आधुनिक शिक्षा, 37(4), 45-52

[6]**छात्राएं आईं नहीं और भोजन के नाम पर गटक गए नौ करोड़,** शीर्षक समाचार, अमर उजाला, बरेली, 28.05.2021, पृ०13

[7]**छात्राएं हैं नहीं फिर भी खाने के नाम पर 84 लाख हजम,** शीर्षक समाचार, अमर उजाला, बरेली, 01.06.2021, पृ० 02

Devi, S. & Tripathi, V. N. (2019), **"Provision of Infrastructural Facilities in Kasturba Gandhi Balika Vidyalya Hostels in the State of Himachal Pradesh,"** Think India Journal, 22(14), 4659-4666.

Devi, S. & Tripathi, V.N. (2020), **"Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) Scheme in the State of Himachal Pradesh: An Evaluative Study,"** (Unpublished Doctoral Dissertation), Himachal Pradesh University, Shimla.

Gogoi,S. & Barua, S. (2015), **"Evaluation of District wise Differences in Proper Implementation of Different Activities in the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV),"** Case Studies Journal, 4(5), 118-125

Kumari, D.N. & Nagamani, A. (2022), **"A Study on the Perceptions of Women Teachers Towards Quality Improvement in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas,"** International Journal of Creative Research Thoughts, 10(6), 845-852

Nagaraju, M.T.V. & Gunturmastan, S. (2017**), "Opinion of Special Officers on Facilities and Resources in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas,"** International Journal of Arts, Humanities and Management Studies, 3(10), 11-30.

[2]**नाश्ते को तरसीं कस्तूरबा की छात्राएं,** शीर्षक समाचार, दैनिक जागरण, बरेली, 21.02.2009

Patel, A. (2019), **"A Rapid Assessment of Organizational Climate: The Psycho-Social Aspects, Student Adjustment, Learning and Living Environment of the Students of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya,"** Social work Department, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad.

शर्मनाक करतूत, शीर्षक समाचार (संपादकीय), दैनिक जागरण, बरेली, 03.04.2017, पृ०10

Yadav, M. (2013**), "A Study on Implementation of KGBV Scheme in the Muslim Concentrated Districts of Four States in India,"** Report 2013, Dept. of Women's Studies, NCERT, pp. 01-293

.

वेब लिंक

[1]https://ww.google.co.in /amp/ in. bhaskar.com/news- gamp/BIH-PAT-HMU-MAT- latest- patna- news- 021502-2948149-Nor. html.

https://navbharattimes.indiatimes.com/one-daughter-equals-10-sons-pm/articleshow/62684516.cms